राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1362/2011/झालावाड़

मैसर्स राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स,
भवानीमंडी, झालावाड ...अपीलार्थी

बनाम

1. सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग
वृत्त, झालावाड
2. उपायुक्त (अपील्स)
वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर
केम्प कोटा ...प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटोदी
अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.09.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त अपील अपीलार्थी की ओर से उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 82 में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.05.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर, वृत्त झालावाड़ (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2010 द्वारा आरोपित मांग राशि रू 45,13,938/– को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यापारी की और आलोच्य अवधि 2007–08 में सीएसटी के तहत देय कर में से 52,25,601/– की राशि कम जमा करवाई गई है जिसका कारण यह बताया गया कि वर्ष 04–05 एवं 05–06 की रिप्स ब्याज अनुदान की राशि विभाग से प्राप्त होना था। कर निर्धारण अधिकारी ने यह माना कि निर्धारित समय में कर देयता व रिप्स से प्राप्त अनुदान दोनों पृथक–पृथक है इस अनुदान की राशि को कर दयेता से जोडना न्यायोचित नहीं हैं। इसलिये इस राशि को बकाया मानते हुये 12,54,144/– का ब्याज आरोपित किया गया तथा देय कर विलम्ब से जमा करवाने के कारण 341/– का ब्याज आरोपित किया गया। 12,27,074/– के

लगातार............2

2 प्रति., 9,003/–रू के 2 प्रति., 10,86,250/–रू के 1 प्रति. एवं 7,061/– रू के 1 प्रति. बिक्री से सम्बन्धित सी फार्म कम प्रस्तुत किये गये इसलिये कर निर्धारण अधिकारी ने 24,541/–, 180/–, 10,863/–, 71/–, कुल 35,655/– का अतिरिक्त कर आरोपित किया गया तथा इस कर को बकाया मानते हुए 5,890/–, 43/–, 2,607/– एवं 17 कुल 8,557/– का ब्याज आरोपित किया गया। इस प्रकार कुल 45,13,938 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई। अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन निर्णय द्वारा अपील अस्वीकार की है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की ओर से कथन किया गया कि सहायक आयुक्त वृत्त झालावाड ने अपीलान्ट के नाम ब्याज अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र 47,31,000/– का जारी किया था। जिसके आधार पर अपीलान्ट ने 32,15,192/– के ब्याज अनुदान को 07–08 के कर के पेटे समायोजित कर लिया बाद मे ब्याज अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र को संशोधित करते हुए 3,59,000/– का पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया जबकि अपीलान्ट 32,15,192/– के कर को ब्याज अनुदान के पेटे समायोजित कर चुका था इसलिये ब्याज अनुदान के पेटे समायोजित की गई राशि को स्वीकार किया जावे और आरोपित ब्याज समाप्त किया जावे।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी ने 52,25,601/– रू का कर जमा नहीं करवाया था। अपीलार्थी का इस संबंध में यह कथन है कि चूंकि वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 की रिप्स ब्याज की अनुदान की राशि विभाग से प्राप्त होनी थी तथा इसे कम करते हुये कर राशि जमा करवायी है। Tax payable के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 17(1) का अवलोकन करना समीचीन है जो निम्न प्रकार है :–

17. Tax payable by a dealer. – (1) Subject to the other provisions of this Act, the net tax payable by a registered dealer, other than the dealer covered by sub–section (2) of section 3 or section 5, for a tax period shall be calculated as under: –

$$T = (O+R+P) - I$$

Where –

T is net tax payable;

O is amount of output tax;

लगातार............3

R is amount of reverse tax;

P is the amount of tax payable under sub–section (2) of section 4; and

I is the amount of input tax.

(5) Where the net tax payable under sub–section (1) has a negative value, the same shall be first adjusted against any tax payable or amount outstanding under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) or under this Act or the repealed Act and the balance amount if any, shall be carried forward to the next tax period or periods. In case the dealer claims refund of the balance amount, if any, at the end of the year, the same shall be granted only after the end of the immediately succeeding year. However, the Commissioner after recording reasons for doing so may, by a general or specific order, direct to grant such refunds even earlier.

(6) Notwithstanding anything contained in this Act, where the sales are made on behalf of the principal registered under this Act by an agent also registered under this Act, such sales shall be deemed to be the sales of the principal and the agent shall render the accounts of such sales in the manner as may be prescribed.

(7) Every person whose registration is cancelled under this Act shall pay tax in the manner prescribed in respect of every taxable goods held in stock and capital goods on the date of such cancellation.

इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने 52,25,601 / – रू का कर यह मानते हुये जमा नहीं कराया कि चूंकि उसे रिप्स के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त होना है अतः यह राशि उसमें समायोजित हो जायेगी। इस खण्डपीठ की विनम्र राय के अनुसार रिप्स के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त होना व अनुदान की मात्रा का निर्धारण सक्षम स्तर पर अलग से होता है तथा इसे सुनिश्चित मानकर कर देयता में से कम नहीं किया जा सकता। अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय है जो अधिकार के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी व्यवहारी ने प्राप्त होने वाले अनुदान की आशा में अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित कर जमा नहीं करवाया है जिससे जमा नहीं करवाये गये कर पर ब्याज की देयता बनती है।

8. जहा तक प्रकरण में अनुदान की गणना का बिन्दु है इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आरएसडब्लयूएम लिमिटेड, उमा पोलिमर्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक 24.11.2011 द्वारा यह अवधारित किया जा चुका है कि out put tax में से Input tax को घटाने के पश्चात् शेष राशि Tax payable है। इस प्रकार Tax payable राशि पर ही अनुदान देय है। इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा अपील संख्या 1593 से 1603 / 2014 मै. श्री सीमेन्ट लि. ब्यावर बनाम सहायक आयुक्त में भी सम्मानीय पीठ ने इस अवधारणा के अनुसार अपील अस्वीकार की है। इस प्रकार निर्धारण अधिकारी ने विधिसम्मत रूप से अदेय कर व अदेय कर पर ब्याज आरोपित करते हुये वसूली निर्धारित की है तथा अपीलीय अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य